XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2867–एक/14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, विदिशा के प्रकरण क्रमांक 38–ए–27/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–8–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अना. क्रमांक 4 राज बहादुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पृथक–2 खाता किए जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान आवेदक बंसतकुमार द्वारा आपत्ति पेश की गई जिस पर उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत तहसीलदार ने आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा आपत्ति निरस्त की गई एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक8–9–14 के लिए नियत किया गया । तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया कि अनावेदक क्र. 2 द्वारा आवेदक के पक्ष में विवादित भूमि में अपने हिस्से की 1/5 भूमि का परित्याग अपने पुत्र की सहमति से किया जा चुका है और उसका कोई हिस्सा अब नहीं है । उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है । इस कारण उसका नाम प्रकरण से विलोपित करना आवश्यक है परंतु तहसीलदार ने उक्त दस्तावेज का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है । यह तर्क दिया गया है कि विधि का यह सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है उसे अनावेदक रूप से पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए । आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष निवेदन कर अनावेदक क्र. 2 का नाम विलोपित किए जाने का निवेदन किया था, जिसे उनके द्वारा अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक है । उक्त आधार पर उनके	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उभयपक्ष स्व. श्री विश्वनाथ के पुत्र, पुत्रियां होकर वारिस हैं । एस.डी.ओ. के आदेश के पश्चात दिनांक 30.3.94 को सभी पक्षकारों की सहमति से वारिसाना नामांतरण हुआ है जो आज तक अंतिम है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता विभाजन की जो कार्यवाही सभी पक्षों के मध्य की जा रही है वह उचित है । यह कहा गया कि आवेदक जानबूझकर प्रकरण का निराकरण नहीं होने देना चाह रहे हैं एवं प्रकरण को लंबान में डाल रहे हैं । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने इस आधार पर आवेदक की आपत्ति को निरस्त किया है कि हक त्याग करने पर उसकी स्वीकृति की अधिकारिता उनको नहीं है । नामांतरण कार्यवाही संक्षिप्त जांच कर स्वत्वधारी का नामांतरण करना होता है । आवेदक को साक्ष्य का अवसर प्राप्त है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार का जो निर्णय है वह अपने स्थान पर उचित, न्यायिक और समतामय है क्योंकि स्वत्व त्याग के संबंध में साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । दर्शित परिस्थिति में पुनरीक्षण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है ।

6/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

सदस्य

एक रुपया ONE RUPEE · दो रुपये TWO RUPEES · दो रुपये TWO RUPEES · दस रुपये TEN RUPEES (कोर्ट फी / COURT FEE)

न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क .... 2014 निगरानी R-2867-I/14

डॉ0 बसंत सिंह पुत्र स्व0 श्री विश्वनाथ सिंह निवासी–हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा (म.प्र.)

................वादी

बनाम

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 02/09/14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. सुधा कुमारी पत्नी कुलदीप सिह, चंदेला, निवासी–सिचाई विभाग, कालोनी, पेटलावद,जिला झाबुआ (म0प्र0)
2. कृष्णा कुमारी बेवा बृजराज सिंह चौहान, निवासी–हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा (म.प्र.)
3. सुमन कुमारी पत्नी राघवेन्द्र सिंह परमार, निवासी–दादा सोबरन सिह परमार यादव कालोनी, कटोराताल, ग्वालियर (म0प्र0)

तीनो पुत्रीगण स्व0 श्री विश्वनाथ सिह,।

4. राजबहादुर पुत्र स्व0 श्री विश्वनाथ सिंह, निवासी–हाथीवाली हवेली, किले अंदर, विदिशा (म.प्र.)

02/09/14
(L.S. Dhakad, Adv.)

..............प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांकित 23.08.2014 जो प्रकरण कमांक 38–ए–27/11–12 में न्यायालय तहसीलदार, विदिशा जिला–विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यहकि, इस निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम उदयगिरी तहसील विदिशा में स्थित भूमि 52/1 रकवा 6.638 हेक्टेयर, 110 रकवा 0.084 हेक्टेयर, 111 रकवा 0.073 हेक्टयर, 115 रकवा 0.084 हेक्टयर, 116 रकवा 0.094 हेक्टयर 121